उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों में शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड–3 प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि – 15.2.2010

मध्यप्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों में शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियत प्रारूप में आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित **संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर प्रेषित किये जायें।**

खण्ड "अ"

शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित पदों का विवरण

(I) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
(1) शीघ्रलेखक	5200-20200+ ग्रेड पे 2800	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
(2) क्लर्क स्टेनो	5200-20200+ ग्रेड पे 1900 एवं विशेष वेतन 125/-	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग	5200-20200+ ग्रेड पे 1900	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।

टीप :- उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(II) शीघ्रलेखक के नियमित पदों की जिलेवार अनुमानित संख्या

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित		अ.पि.वर्ग		अनु.जाति		अनु.जनजाति		योग
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1.	अलीराजपुर	1	-	-	-	-	-	2	1	4
2.	अशोकनगर	2	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	बड़वानी	1	-	-	-	-	-	2	-	3
4.	भिण्ड	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5.	धार	1	-	-	-	-	-	2	-	3
6.	हरदा	1	-	-	-	1	-	-	-	2
7.	होशंगाबाद	1	-	-	-	1	-	-	-	2
8.	इंदौर	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	कुटुम्ब न्याया. इंदौर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	नरसिंहपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	2
10.	राजगढ़-ब्यावरा	2	-	-	-	-	-	-	-	2
11.	रतलाम	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12.	सागर	2	-	-	-	-	-	1	-	3
13.	सतना	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14.	सीहोर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
15.	सिवनी	1	-	-	-	-	-	-	-	1
16.	श्योपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
17.	कुटुम्ब न्याया. उज्जैन	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग	**19**	**0**	**1**	**0**	**4**	**0**	**7**	**1**	**32**

(III) क्लर्क स्टेनो प्रवर्ग के नियमित पदों की जिलेवार अनुमानित संख्या

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अ.पि.वर्ग			अनु.जाति			अनु.जनजाति			योग
		सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	
1.	अलीराजपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2.	अनूपपुर	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
3.	अशोकनगर	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
4.	बड़वानी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	बुरहानपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	छिन्दवाड़ा	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
7.	दमोह	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
8.	दतिया	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
9.	देवास	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
10.	धार	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	9
11.	डिण्डौरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
12.	गुना	2	-	-	2	-	-	2	1	-	1	-	1	9
13.	ग्वालियर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14.	हरदा	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	होशंगाबाद	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16.	इंदौर	9	3	-	2	1	-	2	1	-	2	-	-	20
17.	जबलपुर	4	2	-	2	-	1	2	-	-	2	-	-	13
18.	झाबुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
19.	कटनी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4
20.	मंदसौर	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
21.	मुरैना	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	7
22.	नरसिंहपुर	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
23.	पन्ना	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
24.	रायसेन	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5
25.	राजगढ़-ब्यावरा	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
26.	रतलाम	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
27.	रीवा	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
28.	सीहोर	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
29.	सिवनी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4
30.	शहडोल	2	1	-	2	-	-	1	-	-	4	2	-	12
31.	शाजापुर	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
32.	शिवपुरी	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	7
33.	उज्जैन	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8
34.	उमरिया	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6
35.	विदिशा	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
36.	मण्डलेश्वर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	कुलयोग	**70**	**15**	**1**	**20**	**1**	**1**	**27**	**2**	**1**	**35**	**4**	**2**	**179**

(IV) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित पदों की जिलेवार अनुमानित संख्या

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अ.पि.वर्ग			अनु.जाति			अनु.जनजाति			योग
		सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	
1.	अलीराजपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	4	1	16
2.	अनूपपुर	3	1	1	2	1	-	1	-	-	4	1	1	15
3.	अशोकनगर	6	3	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	15
4.	बड़वानी	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
5.	बैतूल	4	1	1	1	-	-	1	-	-	3	1	-	12
6.	भिण्ड	4	2	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	12
7.	भोपाल	18	7	1	4	2	-	3	1	-	2	-	1	39
8.	बुरहानपुर	9	3	1	3	1	-	3	1	-	4	2	-	27
9.	छतरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	छिन्दवाड़ा	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4
11.	दमोह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
12.	दतिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13.	देवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
14.	धार	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	6
15.	डिण्डौरी	1	-	-	2	1	-	-	-	1	8	3	-	16
16.	खण्डवा	6	2	-	2	-	-	2	1	1	1	-	-	15
17.	ग्वालियर	16	7	2	4	1	1	6	2	-	2	-	-	41
	कुटुम्ब न्या. ग्वा.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
18.	हरदा	4	1	1	1	-	-	1	-	-	3	1	-	12
19.	होशंगाबाद	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
20.	इंदौर	5	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	12
21.	जबलपुर	2	-	-	1	-	-	4	2	-	4	1	-	14
22.	कटनी	4	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	9
23.	मण्डला	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3
24.	मंदसौर	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	8
25.	मुरैना	4	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	10
26.	नरसिंहपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
27.	नीमच	4	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	9
28.	पन्ना	2	1	1	1	-	1	2	1	-	2	1	-	12
29.	रायसेन	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
30.	राजगढ़-ब्यावरा	3	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	7
31.	रतलाम	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	8
32.	रीवा	6	3	-	2	1	-	2	-	-	-	-	1	15
33.	सागर	6	2	1	2	-	-	2	1	1	1	-	1	17
34.	सतना	6	2	1	2	-	-	2	1	-	2	-	1	17
35.	सीहोर	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
36.	शहडोल	2	1	1	2	-	-	1	-	-	4	2	1	14
37.	शाजापुर	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
38.	शिवपुरी	4	1	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	11
39.	सीधी	7	3	1	1	-	-	1	-	1	6	2	1	23
40.	टीकमगढ़	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	5
41.	उज्जैन	2	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	7
42.	उमरिया	5	2	2	3	1	-	2	-	-	8	3	-	26
	कुलयोग	**153**	**54**	**22**	**51**	**8**	**2**	**50**	**12**	**6**	**87**	**24**	**14**	**483**

(नोटः- मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।)

खण्ड "ब"

(1) आयु की गणना - दिनांक 01.01.2010 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी -

1.	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	40 वर्ष
3.	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 = 45 वर्ष
4.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	35 + 5 + 10 = 50 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 + 5 = 50 वर्ष
6.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	35 + 5 + 10 + 5 = 55 वर्ष

विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु-सीमा में छूट दी जायेगी। (म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 3(सी)8/08/21-ब(एक) दिनांक 7.10.2008 द्वारा उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापना में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में कल्याण आयुक्त (गैस राहत), भोपाल में कार्यरत रहे कर्मचारियों को आयु की अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की गयी है। आयु की अधिकतम सीमा में छूट प्रदान किये जाने की यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक 7.10.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिये ही होगी।)

यदि आवेदक कार्यालय - रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में कार्यरत् है/था तो उस अवधि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(2) परीक्षा की योजना - शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पदों हेतु -

(अ) प्रारंभिक परीक्षा - (100 अंक)

सामान्य ज्ञान (40 अंक), सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी (15-15 अंक) एवं कम्प्यूटर ज्ञान (30 अंक) का वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होगा।

प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तरों को चिन्हित करने हेतु पृथक से एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी जो कि OMR शीट के रूप में होगी, जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चुनाव कर ओ.एम.आर. शीट में काली स्याही के बाल पेन से गोला बनाकर अपना उत्तर अंकित करेंगे।

(ब) मुख्य परीक्षा -

(i) शीघ्रलेखक पद हेतु - हिन्दी शीघ्रलेखन (45 अंक)।

(ii) क्लर्क स्टेनो पद हेतु - हिन्दी शीघ्रलेखन (45 अंक)।

(iii) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग हेतु - हिन्दी मुद्रलेखन (45 अंक)।

नोटः- (1) मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखक पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पाँच मिनिट में 500 शब्दों का डिक्टेशन दिया

शेष अगले पृष्ठ पर

पिछले पृष्ठ का शेष

जायेगा जिसके टंकण हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा। अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा। (2) मुख्य परीक्षा में क्लर्क स्टेनो पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पाँच मिनिट में 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जायेगा जिसके टंकण हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा। अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा। (3) मुख्य परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पद हेतु मुद्रलेखन टाइप मेटर देखकर करना होगा। (4) मुख्य परीक्षा में हिन्दी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं। वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम अर्हकारी अंकों की शर्त को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा। (5) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताक्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

(स) साक्षात्कार - (05 अंक)

साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी -

(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। (2) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो। (3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (4) लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा। (5) **मुख्य परीक्षा में हिन्दी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन कौशल परीक्षण हेतु टायपिंग मशीन लाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा, जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा टायपिंग मशीन उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।**

(6) आवेदन पत्र कम्प्यूटर मुद्रित या टाईप कराया जाये, जो कि नियत प्रारूप में दो पृष्ठों वाला (फुल स्केप पेपर) हो तथा समस्त पूर्तियां स्वच्छ हस्तलिपि में कर, निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जावें। अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। (7) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। (8) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है। (9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रसासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/1 दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी। (11) विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।(12) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज का नवीनतम छायाचित्र चस्पा करना आवश्यक है एवं उसे स्व-प्रमाणित करें। (13) स्वंय का पता लिखा एक लिफाफा पाँच रुपये का डाक टिकिट चिपकाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। (14) शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, यदि एक ही आवेदन-पत्र में दो अथवा तीन पदों के लिये अर्थात् शीघ्रलेखक, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड-3 का उल्लेख किया जाता है तो आवेदन-पत्र सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पद हेतु समझा जावेगा।

(15) प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन, एक ही समय, एक ही दिनांक को संबंधित सभी न्यायिक जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी, इसलिये परीक्षार्थी **किसी एक ही न्यायिक जिले में** उनकी इच्छानुसार योग्यता/पात्रता अनुसार आवेदन पत्र प्रेषित करें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। (16) प्रारंभिक परीक्षा की सूचना अभ्यर्थी को संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजी जावेगी। (17) अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र की सूचना रजिस्ट्री द्वारा दी जायेगी। (18) मुख्य परीक्षा जबलपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी सुविधानुसार ली जा सकेगी। जिसमें प्रत्येक जिले के अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक मेरिट सूची बनाकर तद्नुसार उस जिले की रिक्तियों के आधार पर अंतिम चयन किया जायेगा। (19) आवेदन पत्र के लिफाफे पर "**शीघ्रलेखक अथवा क्लर्क स्टेनो अथवा सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**" टीप अंकित कर, प्रेषक के रूप में हाशिए में अपना नाम एवं पता भी लिखें। (20) संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में आवेदन पत्र **दिनांक 15.2.2010 को शाम 5 बजे तक** स्वीकार किये जावेंगे। किसी भी परिस्थिति में उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(21) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। (22) चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में कार्यरत् किसी भी न्यायालय में एवं किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

(जयन्त चव्हाण)
रजिस्ट्रार जनरल